

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 2033

गुरुवार, 31 जुलाई, 2025/9 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ानों में समस्याओं के बारे में चेतावनी देना

2033. श्री अरुण गोविल:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ानों में समस्याओं के संबंध में सही या गलत जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए पुरस्कार या जुर्माने का कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार वास्तविक अलर्ट के लिए पुरस्कार की राशि और गलत या शरारतपूर्ण जानकारी के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले)

(क) : पुरस्कार का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्यदमन अधिनियम, 1982 (एसयूएससीए अधिनियम) और विमान सुरक्षा नियम, 2023 (एसआर) में उड़ानों में समस्याओं के संबंध में झुठी सूचना देने पर जुर्माने/ दंड का प्रावधान है।

(ख) : वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
